

नाम न्यायालय
 केस संख्या

उपखण्ड अधिकारी
 विराटनगर (प्रयागर)

45/2017

की

सत्यमेव जयते
 दिनांक आज्ञा या
 को संख्या कार्यवाही
 Copy - Not Official

आज्ञा विस्तृत रूप से

19610

वकील उम्पपक्ष उर्फ बहल
 डाकपत्र 08R(1) CPC सुनी
 गयी। साक्षीन होने से दख्खान
 08R(1) CPC लागू की जाती
 है। फावली वाले पक्ष हमेशा
 डाकपत्र दिनांक 29/6/17 को
 पेश हो तब तक पूर्व आदेश
 प्रभावी रहेगा।

उपखण्ड अधिकारी
 विराटनगर (प्रयागर)

29610

पत्रावली राजासु लोक अदालत
 -पाप आपके डाक 2017 केस
 विरामना के पेश हुई। वकील
 उम्पपक्ष उपस्थित हुए। बहल प्राप्ति
 पत्र सुनी गयी तथा पत्रावली का
 अफलाकन किया गया। बाद बहल
 अनन प्रकार शूलवाद के अर्थों
 के साथ पूर्ण निस्तारण तक दोनों
 पक्षों को ला फैसला शूलवाद
 आस्थापी निषेधाज्ञा से पाबंद किया
 जाता है कि शक्ति 1525,
 1526, 1527, 1535 तथा 200न.
 1528, 1529, 1532, 1533, 1534,
 1536, 1537, 1538, 1539, तथा
 1531 वाले गांव खालोलाई तहसील
 विरामना की अकारण राजासु रिफाई
 की यथास्थिति बनाये रखे। प्रमाण
 फैसला युक्त एक नमूने से कत द
 निर्णय मजमा पत्रावली केस विरामना
 सुनाया गया।

29/6/17

की

